अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 100 | श्री विजय पुरम, शुक्रवार, 11 अप्रैल 2025 | web: www. and.nic.in | 2.00 रूपए

पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल

पद्म पुरस्कारों अर्थात् 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री' के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 15 मार्च, 2025 से शुरू हो गई हैं और नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार 'विशिष्ट कार्य' को मान्यता देने का प्रयास करता है और कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग इत्यादि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिया जाता है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित क़ानून और नियमों की एक प्रति गृह मंत्रालय की वेबसाइट **www.padmaawards.gov.in** पर उपलब्ध है।

पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल गृह मंत्रालय द्वारा डिज़ाइन किए गए ऑनलाइन पोर्टल **www.padmaawards.gov.in** पर ही प्राप्त की जाएंगी। नामांकन/सिफारिश में उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की अपने संबंधित क्षेत्र/विषय में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धि/सेवा की सिफारिश स्पष्ट रूप से हो। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन सिफारिश करते समय कृपया सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक विवरण ठीक से भरे गए हैं। ऑनलाइन सिफारिशें करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट **www.padmaawards.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

सहायक सचिव (सामान्य प्रशासन) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नामांकन/सिफारिशें, यदि कोई हों, तो कृपया आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए 4 जुलाई, 2025 को या उससे पहले सहायक सचिव (सामान्य प्रशासन) के कार्यालय में जमा की जा सकती हैं।

केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री लागत में 9.50 फीसदी की वृद्धि की

नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र–छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें उपयोग होने वाली सामग्री लागत में 9.50 फीसदी की वृद्धि की है। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025–26 में लगभग 954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी। इससे विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा।

शिक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में एक बयान जारी बताया। यह नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय आते हैं। यहां बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 11.20 करोड़ विद्यार्थियों को दिन में एक बार गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन बनाने के लिए दाल, सब्जियां, तेल, मसाले और ईंधन आदि की खरीद के लिए 'सामग्री

शेष पृष्ठ 4 पर

अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उप राज्यपाल ने घोषणा की है कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/4/2020–जेसीए2 दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित सभी सरकारी कार्यालय, डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सोमवार 14 अप्रैल, 2025 को बंद रहेंगे।

दस दिवसीय 'अण्डमान निकोबार पुस्तक मेला' सम्पन्न

सभी आयु वर्गों में पढ़ने की आदत विकसित करना आवश्यक : मुख्य सचिव

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) के सहयोग से श्री विजय पुरम के वीआईपी रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में आयोजित दस दिवसीय भव्य 'अण्डमान निकोबार पुस्तक मेला' आज संपन्न हो गया। इस मेले का उद्देश्य इन द्वीपों के लोगों, विशेषकर छात्रों एवं युवाओं में पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना तथा साहित्यिक संस्कृति को प्रोत्साहित करना था। समापन समारोह में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार (आईएएस) मुख्य अतिथि थे।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने द्वीपवासियों, विशेषकर बच्चों एवं युवाओं के लाभ के लिए 'पुस्तक मेला' के सफल आयोजन के लिए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को तहे दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने इन द्वीपों पर आने वाले प्रकाशकों और पुस्तक स्टॉल लगाने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि यह अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और इसके लोगों के प्रति उनके प्यार और स्नेह को दर्शाता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि बच्चों, छात्रों और युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करना हमारी ज़िम्मेदारी है। सभी द्वीपों में स्कूल लाइब्रेरी सहित अच्छी संख्या में पुस्तकालयों की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए मुख्य सचिव ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सभी आयु समूहों में पढ़ने की संस्कृति और पढ़ने की आदत विकसित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

मुख्य सचिव ने इस पुस्तक मेले को सार्थक बनाने में योगदान देने के लिए एनबीटी अधिकारियों, संसाधन व्यक्तियों और कलाकारों को भी सम्मानित किया।

इससे पहले मुख्य अतिथि और अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कला और संस्कृति सचिव श्रीमती ज्योति कुमारी (आईएएस) ने कहा कि यह मेला मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था और इसे भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा समर्थित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 'पुस्तक मेले' के दौरान स्कूली बच्चों और आगंतुकों ने द्वीपों से आए संसाधन व्यक्तियों द्वारा शैक्षिक सत्र, एनबीटी द्वारा चिल्ड्रन्स कॉर्नर और सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग द्वारा वीआर शो का आनंद लिया।

कला और संस्कृति निदेशक श्रीमती प्रियंका कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुस्तक मेले के सुचारू संचालन के लिए सभी को उनके सहयोग के लिए विशेष रूप से एनबीटी को धन्यवाद दिया। पुस्तक मेले में 31 स्टॉल थे, जिनमें मुख्यभूमि भारत के विभिन्न प्रकाशकों की विभिन्न विधाओं और लेखकों की लगभग 30,000 पुस्तकें प्रदर्शित की गईं और लोगों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को देखने का एक शानदार अवसर प्रदान किया और वे उन्हें सीधे प्रकाशकों से खरीदने में सक्षम थे।

सत्र न्यायाधीश ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल।

दक्षिण अण्डमान के बम्बूफ्लाट थाने की एफआईआर संख्या 75/2023 दिनांक 24 जून, 2023 के आधार पर जांच बम्बूफ्लाट थाने के इंस्पेक्टर के अब्दुल नासिर ने की और आरोपी पीटर मिंज के खिलाफ सुनामी पहाड़ स्थित अपने घर में पत्नी की हत्या करने के आरोप में दिनांक 26/07/2023 को धारा 302/201 आईपीसी के तहत आरोप पत्र संख्या 87/2023 पेश किया गया।

उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय के लोक अभियोजक की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि अभियोजन का मामला विद्वान लोक अभियोजक श्री सुमित कुमार कर्मकार एवं अपर लोक अभियोजक श्री महेश्वर लाल द्वारा संचालित किया गया। पूर्ण सुनवाई के बाद, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विद्वान सत्र न्यायाधीश श्री सुधीर कुमार द्वारा आरोपी को धारा 302

शेष पृष्ठ 4 पर

दक्षिण अण्डमान जिले की जिला योजना समिति की बैठक 15 अप्रैल से निर्धारित

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल

दक्षिण अण्डमान जिले (कैम्पबेल बे राजस्व क्षेत्र सहित) की जिला योजना समिति की बैठक दक्षिण अण्डमान जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती एम. रजनी की अध्यक्षता में 15, 16 और 17 अप्रैल, 2025 को दक्षिण अण्डमान जिला परिषद के सम्मेलन हॉल में आयोजित की जाएगी। दक्षिण अंडमान जिला परिषद की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत आने वाले जिला योजना समिति के सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और आयुक्त–सह–सचिव/सचिव/योजना कार्यान्वयन विभागों के विभागाध्यक्ष भाग लेंगे, जिसमें दक्षिण अण्डमान जिले के पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों सहित अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विभागों की 7 वर्षीय रणनीति

शेष पृष्ठ 4 पर

ब्रुक्शाबाद के सीआरसी में निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं ऑर्थोटिक शिविर शुरू

जरूरतमंद लोगों से शिविर में उपलब्ध सेवाओं से लाभ उठाने का आग्रह

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) द्वारा श्री विजय पुरम स्थित रोटरी क्लब एवं महावीर सेवा सदन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा पांच दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं ऑर्थोटिक शिविर आज यहां के ब्रुक्शाबाद स्थित सीआरसी परिसर में शुरू हुआ। यह शिविर सीआरसी के सभी के लिए समावेशिता एवं गतिशीलता के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शिविर के दौरान अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए कोलकाता से

शेष पृष्ठ 4 पर

पंगुनी उत्तरम उत्सव के मद्देनजर यातायात डायवर्जन अधिसूचित

श्री विजय पुरम 10 अप्रैल।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासन अधिसूचना संख्या/2008/एफ संख्या 32–95/2008–टीआर दिनांक 10 मार्च, 2008 के साथ, दक्षिण अण्डमान जिले के जिलाधीश, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अधिसूचित करते हैं कि वार्षिक "पंगुनी उत्तरम" उत्सव 11 अप्रैल, 2025 को भगवान सुब्रमण्यस्वामी देवस्थानम (मुरुगन मंदिर), आरजीटी रोड, श्री विजय पुरम में मनाया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए वाहनों के सुचारू प्रवाह के लिए निम्नलिखित डायवर्जन किया गया है।

1. मुरुगन मंदिर से सिद्दीक़ी जंक्शन और इसके विपरीत खंड पर सुबह 7 बजे से सभी वाहनों का यातायात निलंबित रहेगा।
2. सुबह 7 बजे से आरजीटी रोड और एपीडब्ल्यूडी जंक्शन से मुरुगन मंदिर की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. सुबह 7 बजे के बाद सिद्दीक़ी जंक्शन से अबर्डीन बाज़ार जाने वाले वाहन इस मार्ग का अनुसरण करेंगे: सिद्दीक़ी जंक्शन, शादीपुर, मच्छी लाइन, आर.के. मिशन , गर्ल्स स्कूल जंक्शन, अबर्डीन बाज़ार।
4. शाम 7 बजे के बाद मुरुगन मंदिर के माध्यम से सिद्दीक़ी जंक्शन जाने वाले वाहन इस मार्ग का अनुसरण करेंगे:

मुरुगन मंदिर, आरजीटी रोड, मच्छी लाइन, शादीपुर, सिद्दीकी जंक्शन।

इसलिए, उपर्युक्त अवधि के दौरान, सभी वाहनों को निर्दिष्ट वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा।

एकीकृत बाल विकास सेवा (शहरी परियोजना) का 7वां पोषण पखवाड़ा

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल

समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा (शहरी परियोजना) ने आज यहां हैडो स्थित श्री कृष्ण मंदिर से जुड़े हॉल में 7वें पोषण पखवाड़ा–2025 का दूसरा दिन मनाया। इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर–2 के पार्षद श्री सोमेश्वर राव और अन्य लोग शामिल हुए।

पारंपरिक व्यंजनों के माध्यम से स्वस्थ भोजन को प्रोत्साहित करने के लिए आम जनता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 'पौष्टिक भोजन' विषय पर एक रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान, श्री सोमेश्वर राव ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहरी परियोजना) श्रीमती ज़रीना बीबी ने संतुलित आहार के महत्व और 8 से 22 अप्रैल तक देश भर में मनाए जा रहे पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ज़ोर दिया। दक्षिण अण्डमान के सीडीपीओ की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हैडो के सीएचओ ने जीवन के पहले 1000 दिनों के महत्व पर एक व्यावहारिक भाषण दिया, जिसमें बच्चे के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

पुलिस की अडिग कार्रवाई से पोक्सो में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई

श्री विजय पुरम
10 अप्रैल।

उत्तर व मध्य अण्डमान पुलिस ने एक बार फिर न्याय के प्रति अपनी अडिग निष्ठा को कायम रखा है, जो यौन अपराधियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करने में दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

9 अप्रैल, 2025 को एक फैसले में, माननीय विशेष

न्यायाधीश (पोक्सो) श्री सुभाजीत बसु ने कालीघाट थाने के अपराध संख्या 44/2024 के तहत पोक्सो

मामले में आरोपी सुरेन मंडल को 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की

शेष पृष्ठ 4 पर

राशन कार्ड सेवाओं का अस्थायी रूप से बंद होना

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल

आम जनता को सूचित किया गया है कि ईपीडीएस प्रणाली से स्मार्ट पीडीएस प्रणाली में चल रहे माइग्रेशन के कारण, सभी राशन कार्ड सेवाएँ अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि माइग्रेशन प्रक्रिया 20 अप्रैल, 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस अवधि के दौरान, राशन कार्ड सेवाओं तक पहुँच निलंबित रहेगी।

फुटबॉल टूर्नामेंट 15 अप्रैल से

श्री विजय पुरम 10 अप्रैल।

सहायक निदेशक (खेल) से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 15 अप्रैल, 2025 से खेल विभाग फुटबॉल टूर्नामेंट–2025 शुरू होगा। सभी मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खेले जाएंगे तथा सभी टीम प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि वे मैच शेड्यूल के अनुसार मैदान पर उपस्थित रहें। इसके अलावा, टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 15 अप्रैल, 2025 को शाम 5 बजे होगा। सभी पंजीकृत टीमों को उचित टीम जर्सी के साथ उद्घाटन समारोह में उपस्थित होना अनिवार्य है।

मालवाहक जलयान एमवी चुगलम की यात्रा

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल

जहाजरानी सेवा निदेशालय ने आने वाले महीनों के लिए सभी मध्यवर्ती बंदरगाहों से होते हुए कैंपबेल बे तक मालवाहक जलयान एमवी चुगलम की संभावित यात्रा सारणी की घोषणा की है।
सारणी इस प्रकार हैरू

श्री विजय पुरम से निर्धारित प्रस्थान	मार्ग
अप्रैल – 12.04.2025, 29.04.2025	कैंपबेल बे से लिटिल अण्डमान, कार निकोबार, चावरा, तरेसा, कछाल और ननकौड़ी
मई – 13.05.2025, 30.05.2025	
जून – 15.06.2025, 30.06.2025	
जुलाई – 15.07.2025, 30.07.2025	
अगस्त – 16.08.2025, 31.08.2025	

ज्लयान एमवी चुगलम कैंपबेल बे और सभी मार्ग गंतव्यों तक आवश्यक वस्तुओं तथा माल का समय पर परिवहन सुनिश्चित करने के लिए ये निर्धारित यात्राएं करेगा। कार्गो टिकटों की बुकिंग जलयान के निर्धारित प्रस्थान से पांच दिन पहले की जाएगी।

जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जहाजरानी सेवा निदेशालय जनता और हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने, निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने और दक्षिणी द्वीप समूह तक आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध है। संभावित सारणी मौसम की स्थिति और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के अधीन है।

केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत ——पृष्ठ 1 का शेष

लागत' प्रदान की जाती है। सामग्री लागत के अलावा, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भी उपलब्ध कराती है।

भारत सरकार खाद्यान्न की 100 प्रतिशत लागत वहन करती है। इसमें प्रति वर्ष लगभग 9,000 करोड़ रुपये का अनुदान और भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों तक खाद्यान्न की 100 प्रतिशत परिवहन लागत शामिल है। योजना के अंतर्गत खाद्यान्न लागत सहित सभी घटकों को जोड़ने के बाद प्रति भोजन लागत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए लगभग 12.13 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 17.62 रुपये आती है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो, पीएम पोषण के अंतर्गत इन वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रदान करता है।

इन आंकड़ों के अनुसार पीएम पोषण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सूचकांक, देश के 20 राज्यों में फैले 600 गांवों के नमूने से निरंतर मासिक मूल्य एकत्र करने के आधार पर जारी किया जाता है। ये सामग्री लागत दरें न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दक्षिण अण्डमान जिले की जिला योजना ——पृष्ठ 1 का शेष

(2024–2031) और वार्षिक कार्य योजना (2025–2026) प्रस्तावों को प्राथमिकता देने पर नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार विचार–विमर्श किया जाएगाः

15 अप्रैल, 2025–कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग, सहकारी समितियों के रेजिस्ट्रार, पर्यावरण और वन, शिक्षा, जेएनआरएम, एनकॉल, डीब्राइट, टैगोर कॉलेज, अण्डमान विधि महाविद्यालय, श्रम, रोज़गार और प्रशिक्षण, आर्थिक और सांख्यिकी, खेल और युवा मामले और समाज कल्याण विभाग।

16 अप्रैल, 2025–जिला प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय, जिला जिला कारागार, आपदा प्रबंधन, विधि विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्योग, जनजातीय कल्याण, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, विद्युत, जहाजरानी, पत्तन प्रबंध बोर्ड और एपीडब्ल्यूडी।

17 अप्रैल, 2025–मत्स्य, परिवहन, नागरिक उड्डयन, कला और संस्कृति, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग, राजकीय मुद्रणालय, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी), स्वास्थ्य, गृह (पुलिस, अग्निशमन), कार्मिक (नकद) और वेतन और लेखा।

सत्र न्यायाधीश ने हत्यारे को आजीवन कारावास ——पृष्ठ 1 का शेष

आईपीसी के तहत कठोर आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने और धारा 201 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए 3 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।

ब्रुक्शाबाद के सीआरसी में निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं ——पृष्ठ 1 का शेष

विशेषज्ञ तकनीशियनों की एक टीम पहुंची है, जो उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल एवं कृत्रिम अंगों एवं कैलीपर्स की व्यक्तिगत फिटिंग सुनिश्चित करेगी। कोलकाता स्थित महावीर सेवा सदन के प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक (पी एंड ओ) प्रमुख श्री गौतम रॉय के नेतृत्व में टीम ने अपने कुशल हाथों और करुणामयी सेवा के साथ अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 50 लाभार्थियों को पेशेवर सहायता प्रदान की, जिन्हें ऊपरी अंग जैसे हाथ और बांह, निचले अंग जैसे पैर, पैर या पंजे, टखने और पैर (फुट ड्रॉप, सेरेब्रल पाल्सी, स्ट्रोक इत्यादि के लिए उपयोग किए जाने वाले), घुटने–टखने वाले पैर जैसे पोलियो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इत्यादि जैसी सेवाएं प्राप्त हुईं।

इस अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सीआरसी की निदेशक श्रीमती सुमितमोल एस, महावीर सेवा सदन की संस्थापक सदस्य श्रीमती राज महाजन, रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री सागर खुराना, रोटरी क्लब के अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित थे। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सीआरसी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कृत्रिम अंग 14 अप्रैल, 2025 को समापन समारोह के दौरान वितरित किए जाएंगे। इन सेवाओं की ज़रूरत वाले सभी पात्र व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे 14 अप्रैल, 2025 तक शिविर में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाएँ। अधिक जानकारी के लिए, कोई भी व्यक्ति ब्रुक्शाबाद के सीआरसी के फिज़ियोथेरेपी के व्याख्याता श्री टी.वाई. आबिद से 9632490149 पर संपर्क कर सकता है। पंजीकरण 13 अप्रैल, 2025 को बंद हो जाएगा।

पुलिस की अडिग कार्रवाई से पोक्सो में दोषसिद्धि ——पृष्ठ 1 का शेष

क़ैद की सजा सुनाई है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि जांच अधिकारी उप निरीक्षक कन्नगी और कालीघाट थाने के थानाध्यक्ष उप निरीक्षक अशोक कुमार बघेल द्वारा न्याय की निरंतर खोज और सावधानीपूर्वक जांच का परिणाम थी। उनके समर्पण, व्यावसायिकता और अथक प्रयासों ने पीड़िता को न्याय दिलाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि आरोपी को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

अपराध में पीड़ित लड़की शामिल थी, जो एक स्कूली छात्रा थी, जिसे आरोपी ने रास्ते में दुर्व्यवहार किया था, जब वह अपने दोस्त के घर से लौट रही थी। 25 अप्रैल, 2024 को, पीड़िता की शिकायत मिलने पर, कालीघाट थाने में पोक्सो अधिनियम, 2012 आर.डब्ल्यू. एस 75(1)(प)/126(2) बीएनएस 2023 की धारा 7/8 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की गई।

उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, यह फैसला एक मजबूत और स्पष्ट चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कानून के तहत कठोरतम दंड दिया जाएगा। अण्डमान तथा निकोबार पुलिस ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ बनी हुई है।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस मामले में शामिल अधिकारियों के असाधारण जांच प्रयासों की सराहना करती है और कानून के नियम को बनाए रखने, न्याय प्रदान करने और सभी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारे अटूट समर्पण की पुष्टि करती है।

आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी अपराध या अवैध गतिविधियों से संबंधित किसी भी विश्वसनीय जानकारी को अपने निकटतम थाने या फोन नंबर 100, 112 और 03192–273344 पर साझा करें। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा।

फरारगंज सामुदायिक विकास खंड द्वारा बैंक लिंकेज शिविर का आयोजन

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल

दक्षिण अण्डमान के फरारगंज के सामुदायिक विकास खंड द्वारा दो दिवसीय बैंक लिंकेज शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाना तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, विशेषकर संभावित लखपति दीदियों–महिलाओं को ऋण लिंकेज सहायता प्रदान करना है, जो सफल आजीविका उद्यम चला रही हैं तथा कम से कम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की स्थायी आय अर्जित करने की राह पर हैं।

शिविर का पहला दिन सामुदायिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीएमटीसी), फरारगंज में आयोजित किया गया। फरारगंज की खंड विकास अधिकारी श्रीमती ललिता टिग्गा ने अपने स्वागत भाषण में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय आजीविका को समर्थन देने में स्वयं सहायता समूह–बैंक संपर्क के महत्व पर ज़ोर दिया।

शिविर के दौरान विम्बर्लीगंज के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के शाखा प्रबंधक, ओग्राब्राज के एसबीआई के शाखा प्रबंधक और फरारगंज के केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद थे। शिविर में विभिन्न पंचायतों से कुल 53 संभावित लखपति दीदियों ने भाग लिया। इनमें से 8 स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने अपनी मौजूदा आजीविका गतिविधियों का विस्तार करने के लिए ऋण लेने में रुचि व्यक्त करते हुए बैंक कर्मचारियों को अपना विवरण प्रस्तुत किया है।

शिविर का दूसरा दिन स्टीवर्टगंज ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनकी आय–उत्पादक गतिविधियों को बढ़ाने में वित्तीय संपर्क के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से कुल 27 संभावित लखपति दीदियों ने सत्र में भाग लिया।

फरारगंज के खंड विकास अधिकारी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैंक प्रतिनिधियों ने एसएचजी ऋण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के महत्व के बारे में बताया। क्रिसिल फाउंडेशन की टीम ने एसएचजी सदस्यों के लिए उपलब्ध सरकारी पेंशन योजनाओं पर जागरूकता सत्र आयोजित किए। 7 एसएचजी सदस्यों ने सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके सफलतापूर्वक अपना बैंक लिंकेज पूरा किया।

बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी

श्री विजय पुरम, 10 अप्रैल

आम जनता/उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों को सूचित किया गया है कि 12 अप्रैल, 2025 को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गाराचरामा और टेलराबाद जंक्शन क्षेत्र के पास एचटी लाइन कार्य के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में टाइगर फीडररू टेलराबाद, सीपीघाट, बिंबलीटान, छोलदारी, नमूनाघर जंक्शन से तिरूर तथा आउटर फीडरः वंडूर, टेम्पल म्यो, मंगलूटान, गुप्तापाड़ा, नयाशहर, धानीखाड़ी आदि शामिल हैं।

विद्युत विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपरोक्त कार्य मौसम की स्थिति के अधीन किए जाएंगे और यदि कार्य पहले पूरा हो जाता है तो फीडर को तदनुसार चार्ज किया जाएगा।

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने का आशय नागरिक के रूप में सेवानिवृत्त होना नहीं है : मंत्री का सेवानिवृत्त अधिकारियों से विकासशील भारत में योगदानकर्ता और भागीदार बनने का आग्रह

नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

"सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने का आशय नागरिक के रूप में सेवानिवृत्त होना नहीं है" यह बात केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक संदेश में कही, जो सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे सैकड़ों अधिकारियों के साथ भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ गयी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान और पीएमओ, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह बात सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे सैकड़ों अधिकारियों को एक संदेश में कही, जो उनके साथ भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ गई।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति को अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदानकर्ता और भागीदार के रूप में एक नई भूमिका में परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए। 56वीं सेवानिवृत्ति–पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला और 9वें बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय समाज द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देखने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन लाने का आह्वान किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 60 साल की उम्र में कई अधिकारी अपनी ऊर्जा और विशेषज्ञता के शिखर पर होते हैं। उन्होंने कहा, "इसलिए हम उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में शामिल करना चाहते हैं और उनके अनुभवों का उपयोग करना चाहते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, हर नागरिक को विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना होगा ।"

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा असम सरकार के सहयोग से असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में पेंशन सुधार, डिजिटल जीवन प्रमाणन, सीजीएचएस सुविधाओं, वित्तीय नियोजन और भविष्य पोर्टल तथा एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल जैसे नवाचारों के बारे में सिलसिलेवार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान और व्यक्तिगत सशक्तिकरण दोनों के संदर्भ में सहज बदलाव के लिए तैयार करना था। इस कार्यशाला का उद्देश्य लोक सेवकों को न केवल कागजी कार्रवाई के मामले में बल्कि उद्देश्य के मामले में भी सेवानिवृत्ति के बाद के बदलाव के लिए तैयार करना था। डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक ऐसे संस्थागत तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सेवानिवृत्त लोगों को उनके कौशल और रुचि के आधार पर विकासात्मक भूमिकाओं में एकी.त कर सके। पिछले दशक में पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों को रेखांकित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद किया कि किस प्रकार पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय दौड़ना पड़ता था, अक्सर पहली पेंशन का भुगतान प्राप्त करने में महीनों लग जाते थे। उन्होंने कहा, "वह युग बीत चुका है।" उन्होंने कहा, "आज, डिजिटल पीपीओ, भविष्य जैसे एकीकृत पेंशन पोर्टल और फेस ऑथेंटिकेशन उपकरणों के साथ, हमने प्रक्रियात्मक देरी और उत्पीड़न को समाप्त कर दिया है।"

उन्होंने सचिव वी. श्रीनिवास के अधीन पेंशन विभाग की भूमिका की सराहना करते हुए बताया कि कैसे भारतीय डिजिटल पेंशन प्रथाओं का अब मालदीव, मंगोलिया और बांग्लादेश जैसे देश भी अनुकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी), सीपीजीआरएएमएस और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी पहलों की सफलता इस बात के उदाहरण हैं कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार शासन में गरिमा और दक्षता ला सकती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रक्रियागत सरलता से आगे बढ़ते हुए, सेवानिवृत्त अधिकारियों की विशेषज्ञता और रुचियों के आधार पर उनकी एक राष्ट्रीय निर्देशिका बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया, "हम योग्यता, अनुभव और कार्य के पसंदीदा क्षेत्रों जैसे विवरणों को शामिल करने के लिए एक प्रोफ़ॉर्मा तैयार करेंगे, ताकि मंत्रालय परामर्श ले सकें और सेवानिवृत्त अधिकारियों को नीतिगत समितियों या सलाहकार भूमिकाओं में शामिल कर सकें।"

मंत्री महोदय ने उभरती सामाजिक आवश्यकताओं और पेंशन नियमों में सुधारों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया– जैसे कि तलाकशुदा बेटियों को शामिल करना, विधवाओं के लिए प्रक्रिया में तेजी लाना, और लापता कर्मचारियों के परिवारों के लिए सहानुभूतिपूर्ण विचार रखना – जो एक प्रगतिशील और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के कौशल, अनुभव और रुचियों के साथ उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी विभाग उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा, "अनेक नागरिकों ने सेवानिवृत्ति के बाद स्टार्ट–अप शुरू किए हैं या अपने रचनात्मक शौक को आगे बढ़ाया है। मोटे अनाजों पर आधारित पहला सफल स्टार्ट–अप एक सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त एक वैज्ञानिक ने बनाया। आप किसी भी उम्र में नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने हल्के–फुल्के अंदाज में कहा कि सेवानिवृत्ति के दौर ने छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद की है।

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "ऐसे भी लोग हैं जो अपने सेवाकाल में कभी भी संगीत या लेखन या किसी अन्य काम को करने का मौका नहीं पा सके। सेवानिवृत्ति आपको स्वतंत्रता देती है। अगर आप आप गाना गाने की इच्छा व्यक्त करें, तो हम ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन में भी मदद कर सकते हैं।" इस बात पर वहां हंसी और तालियाँ गूँज उठीं ।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com